	हो।	
16-1-18	वकलाय फरीकैन उप०/नजीर पेश नहीं की। वास्ते पेश करने नजीर एवं आदेश दिनांक 23-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23.1.18	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 205 रकबा 10.31 हैक्टर वाके ग्राम लाडपुर में अवस्थित है ।वर्णित आराजीयात में हिस्सा 3/16 दर हिस्सा रकबा 22 बीघा की खातेदारी आवेदिका के नाम से है तथा शेष खातेदारी अनावेदकगण सं0-1 से 14 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी अविभाजित है। जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ। आवेदक	
(हस्ताक्षर)		

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	एवं अनावेदक सं0-1 से 14 अपने अपने हिस्से अनुसार लाट बाट कर लेते हैं । बंटवारे के लिये कई बार कहा गया किन्तु अनावेदकगण ने मना कर दिया तथा उक्त आराजी के विशिष्ट भू-भाग को बैचान करने पर आमादा है। यदि अनावेदकगण अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो आवेदिका का दावा पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । अतः यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।	

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में दावा बंटवारा उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं रेकार्ड संशोधन का पेश किया। उक्त दावे का निर्णय भी दिनांक 7-2-17 को कर दिया । जिसमें तहसीलदार दांतारामगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया । तथा विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये । उक्त दावा एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा लम्बित रहने के दौरान तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा गलत रूप से विवादित आराजी ख0नं0 205 में रेस्पोडेन्ट सं0-6 सुरजा पुत्र बिडदा के आवेदन पर डोटेड लाईन से नक्शा ट्रेस में एक रास्ता बना दिया। जबकि ख0नं0-205 में ख0नं0 207 की0 की दक्षिणी सीमा से लगता हुआ रास्ता (रेस्पोडेन्ट सं0-6) के हिस्से तक जाता है । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर अन्तिम डिक्री पारित जब तक नहीं की जाती है तब तक स्थगन आदेश को निरस्त किया जाना उचित एवं विधिक नहीं है। वादीया के दावे को साबित मानकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	तलब कर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2065 से 2068 में विवादित आराजी ख0नं0 205 की खातेदारी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 14 के नाम दर्ज है । विवादित आराजी का रास्ते का स्वयं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा मौका देखा गया । राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड सह खातेदार काश्तकार है और एक सह खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत में प्राथमिक डिक्री भी जारी हो चुकी है। अदालत मातहत ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दूओं पर विवेचन कर अपना निर्णय दिया है । जिसमें हक किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 7-2-2017 यथावत रखा जाता है । निर्णय सुनाया गया । 23/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	